हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2016 की प्रथम आपातकालीन बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 26 फरवरी, 2016 को अपराह्न 3–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति

2– डॉ0 दिनकर बुड़ाथोकी, शिक्षा निदेशक

3– आचार्य एम0एस0 चौहान, अधिष्ठाता, भौतिक विज्ञान संकाय

4– आचार्य हिम चटर्जी, अधिष्ठाता प्रदर्शन एवं दृश्य कलाएं संकाय

5– आचार्य सतीश चन्द भढवाल

6– श्री चन्द्र शेखर नामिती राज्य सरकार

7– श्री बम्बर ठाकुर, नामिती माननीय कुलाधिपति

8– श्री हरीश जनारथा, नामिती माननीय कुलाधिपति

9– डॉ0 अनुराग शर्मा, सह–आचार्य

10– डॉ0 श्याम लाल कौशल कार्यवाहक–कुलसचिव
सदस्य–सचिव

मद संख्या–1: कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

...

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की *वर्ष 2016 की प्रथम आपातकालीन बैठक* में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् के निवर्तमान सदस्य श्री देवी राम वर्मा का धन्यवाद किया तथा डॉ.वाई.के.शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद एवं प्राचार्य, राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला का नए सदस्य के रूप में स्वागत किया।

उन्होंने परिषद् को अवगत करवाया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईः–

1. दिनांक 1 फरवरी 2016 को हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मिलित हुआ।

2. दिनांक 15 फरवरी 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना बोर्ड की बैठक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्राथमिकताओं पर विचार–विमर्श करने के लिए उपस्थित हुआ।

3. दिनांक 18–20 फरवरी 2016 तक गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र में NAAC बैंगलुरू की समिति के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया।

4. दिनांक 22 फरवरी 2016 को विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा आरम्भ किए गए विशेष शीतकालीन कार्यक्रम में व्याख्यान दिया।

5. दिनांक 23 फरवरी 2016 को शीतकालीन अवकाश के बाद विश्वविद्यालय खुलने पर अध्यापकों को सम्बोधित किया।

6. दिनांक 24 फरवरी को रूसा कार्यक्रम से सम्बन्धित एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम के बारे में विसंगतियां दूर करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।

7. दिनांक 25 फरवरी 2016 को शैक्षणिक परिषद् की 67वीं बैठक आयोजित की गई जिसमें छात्र हित से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

8. दिनांक 25 फरवरी 2016 को ही विश्वविद्यालय और इन्स्टीटयूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरीज ऑफ इन्डिया के मध्य वाणिज्य स्नातक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने करने वाले छात्र को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए।

अब मैं कुलसचिव से आग्रह करता हूं कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>**मद संख्या–2:**</u> श्री दिवाकर कमल, नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) सेवानिवृत्ति पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर तैनात को पुनः निःसंवर्ग के विरूद्ध वित्त अधिकारी के रूप में एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने प्रदेश सरकार से पत्र संख्या :फिन(टीआर)बी(6)–2/80-IV दिनांक 20–2–2016 द्वारा श्री दिवाकर कमल के पुनर्नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुमोदन एवं विश्वविद्यालय के आगामी बजट 2016–2017 को ध्यान में रखते हुए श्री दिवाकर कमल, जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था की प्रदेश सरकार के नियन्त्रक (वित्त एवं

लेखा) के पद पर दिनांक 31–01–2016 को सेवानिवृत्ति हो चुकी है को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निःसंवर्ग पद के विरूद्ध वित्त अधिकारी के पद पर एक वर्ष की अवधि या प्रदेश सरकार द्वारा इस पद पर किसी पात्र अधिकारी की नियुक्ति तक जो भी पहले होगा, विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने को
अपनी स्वीकृति प्रदान की।

परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उनकी पुनर्नियुक्ति की सेवा–शर्तों तथा अन्य वेतन एवं भत्ते प्रदेश सरकार में पुनर्नियुक्ति के लिए प्रचलित नियमों के अनुरूप देय होंगे।

मद संख्या–3: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष वर्ष 2011 तथा 2014 में विज्ञापित सहायक आचार्य के पदों हेतु आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 25–9–2013 को सी.डब्ल्यू.पी. संख्याः 9048, 9051, 9055, 7031 व 7366 ऑफ 2013 तथा सी.ओ.पी.सी. संख्याः 4266 ऑफ 2013 दिनांक 6–10–2015 में पारित आदेशों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्याः 36023–36032 में पारित आदेशों की अनुपालना में गठित समिति जिसमें समिति द्वारा मामले के पूर्ण अध्ययन हेतु उचित समय मांगा है का अवलोकन करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि उपरोक्त समिति यथाशीघ्र बैठक आयोजित कर **एक सप्ताह** के अन्दर अपनी सिफारिशें कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त बैठक की सिफारिशों को यथाशीघ्र परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ताकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियों बारे उचित निर्णय लिया जा सके।

.....

यथा–स्थान की गई चर्चाः

कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों ने प्रदेश में रूसा प्रणाली पर छात्रों द्वारा किए जा रहे धरने एवं प्रदर्शनों का मामला परिषद् के समक्ष उठाया। परिषद् के सदस्यों द्वारा रूसा प्रणाली के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों को देश के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आ रही कठिनाई और इस पर आये दिन

समाचार–पत्रों में आ रही खबरों को भी गम्भीरता से लिया और शिक्षा निदेशक तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को समाचार–पत्रों व सूचना–प्रसारण के अन्य माध्यमों से रूसा–प्रणाली पर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर छात्र, अविभावकों एवं जन साधारण के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत करने को कहा ताकि छात्र समुदाय में रूसा प्रणाली के प्रति उत्पन्न हो रही भ्रातियां दूर हो सकें।

सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और प्रदेश सरकार द्वारा रूसा प्रणाली को लागू करने व इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए करोड़ों रूपये की धन राशि विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को प्राप्त हुई है। अतः उक्त प्राप्त धन राशि से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में रूसा प्रणाली में मूलभूत सुविधाओं जैसे कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इन्टरनैट सुविधा व श्रम–शक्ति पर कितनी राशि व्यय हुई बारे शिक्षा निदेशक व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया जाये। श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि उक्त प्राप्त राशि का इन मूलभूत सुविधाओं पर व्यय न होने के कारण छात्रों को इन्टरनैट सुविधा इत्यादि के लिए जगह–जगह भटकना पड़ रहा है। अतः विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में प्राप्त राशि से इन्टरनैट सुविधा व श्रम–शक्ति उपलब्ध कराई जाये। श्री चन्द्र शेखर द्वारा उठाये गये उपरोक्त प्रश्न का श्री हरीश जनारथा व श्री बम्बर ठाकुर ने भी समर्थन किया और कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व प्रदेश सरकार से रूसा प्रणाली के लिए प्राप्त धन राशि से मूलभूत ढांचे के कम्प्यूटीकरण और ऑन–लाइन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

सदस्य श्री बम्बर ठाकुर ने कहा कि महाविद्यालयों में रूसा प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्राप्त राशि से रूसा प्रणाली की प्रविष्टियों के लिए महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इन्टरनैट सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ–साथ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किये जायें ताकि इस प्रणाली में प्राप्त अंकों की प्रविष्टियां समयबद्ध हों, और महाविद्यालयों द्वारा अंक प्रविष्टियां ऑन–लाइन समय पर विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायें जिससे छात्रों के परीक्षा परिणाम समय पर घोषित हो सकें।

सदस्य श्री हरीश जनारथा जी ने कहा कि जिन महाविद्यालयों से सम्बन्धित प्राध्यापक रूसा प्रणाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं की इन्टरनल असैसमैंट विश्वविद्यालय को समय पर प्रेषित नहीं कर रहे हैं उन महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा उक्त प्राध्यापकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है का ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। श्री जनारथा जी उठाए गए प्रश्न का श्री चन्द्र शेखर व अन्य सदस्यों ने भी समर्थन किया ।

रूसा प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन छात्रों को देश के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आ रही कठिनाइयों व छात्रों के परीक्षा–परिणाम में देरी के मामले पर कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् को स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराया कि रूसा प्रणाली के संचालन में सरकार, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय बराबर के भागीदार हैं। छात्रों को बाहरी विश्वविद्यालयों में प्रवेश में कठिनाई छात्र के गल्त विषय–सम्मिश्रण(subject combination)चयन के कारण आ रही है का यथासम्भव समाधान ढूंढने का प्रयास किया जायेगा। परीक्षा संचालन व मूल्यांकन विश्वविद्यालय करवाता है और अंक प्रविष्टियां ऑन–लाइन विश्वविद्यालय को भिजवाना महाविद्यालयों का कार्य है। परीक्षा परिणाम समय पर घोषित न होने का मुख्य कारण महाविद्यालयों से ऑन–लाइन अंक प्रविष्टियां और इन्टरनल असैसमैंट का विश्वविद्यालय में समय पर प्राप्त न होना है। इसके लिए महाविद्यालयों से समय–समय पर सम्पर्क किया जाता रहा है फिर भी कई महाविद्यालयों से ऑन–लाइन अंक सूचियां व इन्टरनल असैसमैन्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हालांकि परीक्षा फार्म में प्राचार्यों की अनुशंसा पर ही विश्वविद्यालय ऑन–लाइन रोल नम्बर जारी करता है। कुलपति महोदय ने परिषद् को यह भी अवगत कराया कि उपरोक्त मामले पर चर्चा के लिए दिनांक 24–2–2016 को विश्वविद्यालय अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में उक्त मामले के परीक्षण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया हैः–

1– आचार्य पी.के. आहलूवालिया(सेवानिवृत्त)

2– आचार्य बी.एस. मढ़(सेवानिवृत्त)

3– आचार्य एम.एस. चौहान, अधिष्ठाता, योजना एवं शिक्षक मामले

उपरोक्त समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधान विकास मंत्रालय में जाकर विश्वविद्यालय के छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आ रही कठिनाइयों का मामला आयोग के समक्ष उठाकर इसके शीघ्र समाधान हेतु प्रयास करने का निर्णय लिया गया था।

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि रूसा प्रणाली में अध्ययनरत छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आ रही कठिनाई वर्तमान में एक गम्भीर और ज्वलंत समस्या है और यह छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ी है, अतः कार्यकारिणी परिषद् ने मामले के शीघ्र समाधान के लिए उपरोक्त समिति के स्थान पर एक अन्य समिति जिसका प्रतिनिधित्व कुलपति महोदय स्वयं करेंगे, के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित किया कि उक्त समिति में प्रदेश सरकार के शीर्ष स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित हों।

अतः कार्यकारिणी परिषद् ने उक्त मामले के समाधाान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन मंत्रालय से वार्तालाप करने के लिए निम्नलिखित समिति के गठन का निर्णय लियाः–

1– आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी, कुलपति	–अध्यक्ष
2– आचार्य एम0एस0 चौहान, अधिष्ठाता(नियोजन)	–सदस्य
3– सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार	–सदस्य
4– डॉ0 दिनकर बुड़ाथोकी, शिक्षा निदेशक, हि0प्र0	–सदस्य

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि रूसा प्रणाली पर विस्तृत चर्चा के लिए परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 11–3–2016 को दोपहर 12–00 बजे आयोजित की जायेगी जिसमें रूसा प्रणाली से सम्बन्धित पूर्ण ब्यौरा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

कार्यवाहक–कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –

(आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी)
कुलपति / सभापति